

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

08.07.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

15.07.2024

प्रकरण संख्या
410/2024

1. चतुर्थी पत्नी मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. ज्वारा पिता उरजण जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारू पुत्री मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. पन्ना पिता उरजण जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. मंजु पुत्री मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मैना पुत्री मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लक्ष्मीनारायण पिता मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. विमला पुत्री मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. शंकर पिता उरजण जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सुशीला पुत्री मीतु जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल पिता लाला जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बालु राम पिता लाला जाट निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. बद्रीलाल पिता लादु खटीक निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. राजु पिता नानुराम खटीक निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. हेमराज पिता नानुराम खटीक निवासी महुआखुर्द तह0 बनेड़ा नवीन तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी के0 के0 जीनगर

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

09/07/24
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा महुआखुर्द प0ह0 महुआखुर्द भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 218 की अभिलिखित आराजियात 1674/2, 1675, 1678/2, 1785, 1788, 2358/2, 2373, 2379, 2426 कुल किता 09 कुल रकबा 4.5908 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है। इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया। हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा महुआखुर्द प0ह0 महुआखुर्द भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 218 की अभिलिखित आराजियात 1674/2, 1675, 1678/2, 1785, 1788, 2358/2, 2373, 2379, 2426 कुल किता 09 कुल रकबा 4.5908 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नर शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

Shad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(अह्मद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी
मीलवाडा